

कार्यालय उपायुक्त, रोहतक

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की अधिसूचना संख्या SEC/2ME/2018/3665 दिनांक 29.05.2018 की पालना में हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 8 के अनुसार नगर निगम, रोहतक की मतदाता सूचियों की तैयारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख वर्षित वार्डों में संशोधन अधिकारी (Revising Authority) नियुक्त किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद संज्ञा	वार्ड न०.	संशोधन अधिकारी कार्यालय
1	श्री राकेश कुमार, एच०सी०एस०	उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।	2, 4 व 5	उपमण्डल अधिकारी (ना०), कार्यालय, लघुसंचिवालय, रोहतक
2	श्री दलबीर सिंह, एच०सी०एस०	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रोहतक।	10, 21 व 22	मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय, जिला विकास भवन, रोहतक।
3	श्रीमति गायत्री अहलावत, एच०सी०एस०	सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।	9, 11 व 12	सम्पदा अधिकारी कार्यालय, ह०श०वि०प्रा०, सैक्टर-२ रोहतक।
4	श्री प्रदीप कुमार, एच०सी०एस०	प्रबन्ध निदेशक, शुगर मिल, रोहतक।	१ व 18	CDPO कार्यालय, कमरा न०.10, भूतल, लघुसंचिवालय, रोहतक।
5	श्री राहुल जैन	महाप्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, रोहतक।	6, 7 व 8	महाप्रबन्धक कार्यालय, हरियाणा रोडवेज, बस स्टैंड, रोहतक।
6	श्री अरविन्द मलिक	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।	13, 14 व 15	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, लघुसंचिवालय, रोहतक
7	श्री ब्रह्म प्रकाश	जिला राजस्व अधिकारी, रोहतक।	3 व 17	जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, लघुसंचिवालय, रोहतक
8	श्री के.के. धनखड़	कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, रोहतक।	16, 19 व 20	कार्यकारी अभियन्ता कार्यालय, पंचायती राज विभाग, जिला विकास भवन, द्वितीय तल, रोहतक।

श्री रविन्द्र कुमार, एच०सी०एस०, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम रोहतक को उपरोक्त कार्य के लिए संयोजक नियुक्त किया जाता है।

दिनांक

क्रमांक ६०४-६१७ /LFA

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा पंचकुला को उनके पत्र क्रमांक SEC/2ME/2018/3665 दिनांक 29.05.2018 के संदर्भ में।
2. आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
4. सभी सम्बन्धित अधिकारीगण को राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा की अधिसूचना दिनांक 29.05.2018 की प्रति सहित।
5. संयुक्त आयुक्त, नगर निगम रोहतक को भेजकर लिखा जाता है कि वह मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में सभी आवश्यक फार्म/सामान आदि तथा संशोधन अधिकारियों को सहायक स्टाफ उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
6. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, रोहतक को अधिसूचना की प्रति सहित व्यापक प्रचार हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी, एन०आई०सी०, रोहतक को अधिसूचना की प्रति सहित।

संलग्न:- 1. VICC केन्द्रों की सूची।

2. अधिसूचना संख्या SEC/2ME/2018/3665

दिनांक 29.05.2018 की सूची।

दिनांक

उपायुक्त, रोहतक।
१८/५/१८

उपायुक्त, रोहतक।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा की अधिसूचना संख्या EC/2ME/2018/3665 दिनांक 29.05.2018 द्वारा हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम 1994 की धारा 9 के अनुसार नगर निगम रोहतक की बोटर लिस्ट का कार्य निम्न अनुसार दिये गए कार्यक्रम के अनुसार करवाया जाना है। प्रस्तावित नगर निगम बोटर लिस्ट को उपायुक्त कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, संशोधन अधिकारियों के मतदाता सूचना और संग्रह केन्द्रों (VICC) में तथा जिला प्रशासन एवं नगर निगम की वैबसाइट क्रमशः (www.rohtak.gov.in & www.mcrohtak.gov.in) पर देखी जा सकती है एवं प्रस्तावित नगर निगम बोटर लिस्ट से सम्बन्धित दावे व आपत्तियों के फार्म (ए तथा बी) भी निश्चल उपरोक्त सभी कार्यालयों व वैबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त नगर निगम के सभी बोर्डों के बोर्डों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दावे तथा आपत्तियों की मुनवाई के लिए आठ संशोधित अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रत्येक वार्ड में एक मतदाता सूचना और संग्रह केन्द्र (कुल 22 VICC) स्थापित किये गए हैं। बोटर अपने दावे एवं आपत्तियों से सम्बन्धित फार्म इन मतदाता सूचना और संग्रह केन्द्रों (VICC) में जमा करवाएं।

i.	The ward wise and booth wise photo based draft electoral rolls of all wards of these Corporations referred to above shall be prepared as per delimitation Notification No. 18/11/2018-3C1, dated 11-04-2018 respectively, by distributing the electors of the respective areas of Legislative Assembly or part thereof, into the wards of these Corporations (mentioned at para 2) on the basis of latest Assembly electoral rolls published on 10 th January, 2018 with reference to 1 st January 2018 as qualifying date with supplements. [Rule-4(1)].	04.06.2018 to 11.06.2018
ii.	Publication of draft electoral rolls of all the wards o these Corporation as referred in sub para (i) above for inviting claims and objections. [Rule-4(3)].	12.06.2018
iii.	Last date by which claims and objections shall be presented to the Revising Authority. [Rule-4(4)(i)].	18.06.2018 (Except 17.06.2018) (up to 03:00 PM)
iv.	Last date by which the claims and objections shall be disposed of by the Revising Authority. [Rule-4(4)(v) & (vii)].	29.06.2018 (except 24.06.2018)
v.	Last date for filing appeals with the Deputy Commissioner against the order of Revising Authority. [Rule-4 (4) (viii)]	04.07.2018
vi.	Last date for disposal of appeals by the Deputy Commissioner. [Rule-4(4)(viii)].	07.07.2018
vii.	Final publication of ward wise Electoral Rolls. (Rule-4 (4) (ix))	18-07-2018

नगर निगम, रोहतक की मतदाता सूचियों की तैयारी करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सम्मुख वर्षित वार्डों में संशोधन अधिकारी (Revising Authority) नियुक्त किया गया है:-

क्र० सं	अधिकारी का नाम	पद संज्ञा	वार्ड न०.	संशोधन अधिकारी कार्यालय
1	श्री राकेश कुमार, एच०सी०एस०	उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।	2, 4 व 5	उपमण्डल अधिकारी (ना०), कार्यालय, लघुसंचिवालय, रोहतक
2	श्री दलबीर सिंह, एच०सी०एस०	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, रोहतक।	10, 21 व 22	मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय, जिला विकास भवन, रोहतक।
3	श्रीमति गायत्री अहलावत, एच०सी०एस०	सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।	9, 11 व 12	सम्पदा अधिकारी कार्यालय, ह०श०वि०प्रा०, सैक्टर-2 रोहतक।
4	श्री प्रदीप कुमार, एच०सी०एस०	प्रबन्ध निदेशक, शुगर मिल, रोहतक।	1 व 18	बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, कमरा न०.10, भूतल, लघुसंचिवालय, रोहतक।
5	श्री राहुल जैन	महाप्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, रोहतक।	6, 7 व 8	महाप्रबन्धक कार्यालय, हरियाणा रोडवेज, बस स्टैंड, रोहतक।
6	श्री अरविन्द मलिक	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रोहतक।	13, 14 व 15	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, लघुसंचिवालय, रोहतक
7	श्री ब्रह्म प्रकाश	जिला राजस्व अधिकारी, रोहतक।	3 व 17	जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय, लघुसंचिवालय, रोहतक
8	श्री के.के. धनखड़	कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, रोहतक।	16, 19 व 20	कार्यकारी अभियन्ता कार्यालय, पंचायती राज विभाग, जिला विकास भवन, द्वितीय तल, रोहतक।

इसके अतिरिक्त श्री अजय कुमार, (भा०प्र०स०) अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक को नगर निगम, रोहतक की मतदाता सूचियों की तैयारी करने के सम्बन्ध में वार्ड न०. 1 से वार्ड न०. 22 के लिए नोडल अधिकारी -कम- संशोधन अधिकारी (Revising Authority) नियुक्त किया गया है।

दिनांक

उपायुक्त, रोहतक।

कार्यालय उपायुक्त, रोहतक

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा की अधिसूचना संख्या SEC/2ME/2018/3665 दिनांक 29.05.2018 की पालना में हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 8 के अनुसरण में श्री अजय कुमार, (भा0प्र0से0) अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक को नगर निगम, रोहतक की मतदाता सूचियों की तैयारी करने के सम्बन्ध में वार्ड न0. 1 से वार्ड न0. 22 के लिए नोडल अधिकारी -कम- संशोधन अधिकारी (Revising Authority) नियुक्त किया जाता है।

दिनांक

क्रमांक 635 ~ 637

दिनांक ५/६/१९

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा पंचकुला को उनके पत्र क्रमांक SEC/2ME/2018/3665 दिनांक 29.05.2018 के संदर्भ में।
2. आयुक्त रोहतक मण्डल, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।

संलग्न:- 1. अधिसूचना संख्या SEC/2ME/2018/3665

दिनांक 29.05.2018 की प्रति।

 उपायुक्त, रोहतक।

 उपायुक्त, रोहतक।